**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

पीठासीन अधिकारी :– मनोज मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 178/2011

अनवान मुकदमा–

प्रकाशकौर उर्फ मनजीतकौर पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी हरदीपसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 2 एल.एस.एम. बान्डा कोलोनी ढाणी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–––वादी

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र महंगासिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 1 के.एस.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. परमजीत कौर पुत्री महेन्द्रसिंह [स्वर्गवास]
   2/1. अमरीकसिंह ––।
   2/2. हरजीतसिंह ।पुत्रगण परमजीतकौर पत्नी केहरसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी श्योपुरा
   2/3. रणजीतसिंह ––।तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. राणी पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी प्रकाशसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी वार्ड नं0 25 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. सरदुलसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 1 के.एस.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. बलवीरकोर पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी लखविन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. सतपालसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 1 के.एस.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
7. काली पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी जरनैलसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. अंग्रेजसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 1 के.एस.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
9. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
10. उप–पंजीयक सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
11. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा सूरतगढ़।
12. चरणकौर पत्नी महेन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 1 के.एस.आर. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–––प्रतिवादीगण

**वाद–पत्र अन्तर्गत धारा– 88,53,188,207,209 आर0टी0ए0 1955**

उपस्थितीः श्री अशोक कुमार छाबड़ा अधिवक्ता वादी
श्री भगवानदत शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी नं0 1,3,6
श्री श्याम चुघ अधिवक्ता प्रतिवादी नं0 11
श्री बाबूलाल चाण्डक अधिवक्ता प्रतिवादी नं0 1,4,6,8
पेरोकारराज।

# निर्णय

दिनांक: 14/01/2020

इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने दिंनाक 11/11/2011 को उक्त अनवान का वाद–पत्र अन्तर्गत धारा– 88,53,188,207,209 आर0टी0ए0 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए वादाधीन समस्त रकबा में से अपना 1/9 हक व हिस्सा घोषित किए जाने बाबत अनुतोष चाहा था। इसके पश्चात वादीया ने दिंनाक 30/8/2012 को संशोधित वाद–पत्र पेश किया तथा इसके पश्चात पूनः दिंनाक 12/01/2015 को संशोधित वाद–पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी नं0 1 महेन्द्रसिंह ने दिंनाक 04/01/2013 को अपना जवाब दावा पेश करते हुए वादीया के वाद–पत्र का खण्डन किया है। वादीया विवाह के पश्चात सहदायी परिवार की सदस्य नहीं रही है। वादाधिन कृषि भूमि मुझ प्रतिवादी नं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। इसमें अन्य किसी का भी कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादीया का वाद–पत्र गल्त तथ्यों पर आधारित है। वादाधीन कृषि भूमि प्रतिवादी नं0 1 के द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत करने की दिंनाक से पूर्व में ही हस्तान्तरित हो चुकी थी।

दिंनाक 05/09/2013 को प्रतिवादी नं0 4 सरदुलसिंह ने अपना जवाब दावा पेश किया। प्रस्तुत वाद–पत्र एंव जवाब दावा के आधार पर दिंनाक 27/03/2015 को संशोधित तनकीयात कायम की गई। तत्पश्चात वादीया ने दिंनाक 12/01/2016 को अपना शपथ–पत्र बयान पेश किया तथा अपने पक्ष की पुष्टि में पूर्व में दिंनाक 17/04/2013 को बोगी खान का शपथ–पत्र पेश किया। प्रतिवादी नं0 4,6,8 ने अपने शपथ–पत्र बयान पेश किए तथा गोमेन्दराम पुत्र दुल्लाराम का शपथ–पत्र बयान पेश किया। फलस्वरूप उक्त प्रकरण पर वादीया एंव प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई।

दोराने बहस वकील वादीया ने अपने प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसील सूरतगढ़ के चक 1 के.एस.आर.'ए' जमाबन्दी सम्वत 2065–68 खाता संख्या– 62/62 के प0नं0 40/337 के कि0नं0 1 ता 15 का 3.440 है0 नहरी रकबा प्रतिवादी नं0 1 के नाम पिता से आया हुआ होने से पैत्रिक रकबा है। इसलिए प्रतिवादी नं0 1 के तीन पुत्र व पांच पुत्रियां एक स्वंय तथा एक पत्नी कुल दस सहखातेदार होने से जेरवाद 3.440 है0 रकबा में प्रत्तेक का 1/10–1/10 हिस्सा होने से वादीया का 1/10 हिस्सा यानि 0.344 है0 की खातेदार कृषक है व इतना हिस्सा का शेष प्रतिवादीगण विभाजन,खाला व रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जावे तथा वादीया के 1/10 हिस्सा यानि 0.344 है0 में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से कब्जा काश्त में दखल न तो स्वंय करें व न ही किसी अन्य से करावें एंव प्रतिवादी नं0 1 के द्वारा प्रतिवादी नं0 4,6,8 को करवाया गया दान–पत्र दिंनाक 04/11/2011 वादी के 1/10 हिस्सा की भूमि तक निष्प्रभावी होने से वादीया के हितों पर बेअसर है।

प्रतिवादी नं0 1 के विद्वान अभिभाषक ने इस सबंध में अपने प्रस्तुत जवाब दावा दिंनाक 04/03/2013 में अंकित कथनों पर ध्यान दिलाते हुए निवेदन किया कि चक 1 के.एस.आर.'ए' के प0नं0 40/337 के कि0नं0 1 ता 15 का 3.440 है0 रकबा प्रतिवादी नं0 1 के द्वारा वादीया के द्वारा यह वाद–पत्र दायर करने की दिंनाक से पूर्व ही हस्तान्तरित किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त वादीया वादाधीन रकबा में हक नहीं रखती है क्यों कि वह विवाह के पश्चात सहदायी परिवार की सदस्य नहीं रही है। ओर ना ही वादाधीन रकबा पर उसका कभी भी कब्जा काश्त रहा है। प्रतिवादी नं0 1 के द्वारा वादाधीन रकबा दिंनाक 04/11/2011 को जरिए रजिस्टर्ड दस्तावेज दान–पत्र के प्रतिवादी नं0 4,6,8 के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया गया था।

प्रतिवादी नं0 4 के अभिभाषक ने दोराने बहस निवेदन किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब दिंनाक 05/09/2013 में वर्णित कथनों के अनुसार वादाधीन कृषि भूमि वाद दायरी से पूर्व सरदुलसिंह–सतपालसिंह–अंग्रेजसिंह को बजरिए दान–पत्र दिंनाक 04/11/2011 को हस्तान्तरित की जा चुकी है। अंकित भूमि पर कब्जा काश्त प्रतिवादी नं0 4,6,8 का ही है। दोराने बहस यह भी निवेदन किया कि वाद में अंकित कृषि भूमि सहदायी सम्पति ना तो है ओर ना ही कभी रही है। वादीया दस्तावेज दान–पत्र दिंनाक 04/11/2011 को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाए बिना श्रीमान न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने की हकदार ही नहीं है।

हमने उपस्थित अधिवक्तागणों की बहस सुनी। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों एंव कानूनी नजीरों का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीया के द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र एंव प्रतिवादीगणों के प्रस्तुत जवाब दावा के आधार पर कुल पांच निम्न तनकीयात कायम की गईः–

1. आया, वादाधीन 3.440 है0 भूमि पैत्रिक है ? ———वादीया
2. आया, वादाधीन भूमि पैत्रिक होने से वादीया 1/10 हिस्सा घोषित करवाने तथा मिट एण्ड बाउण्ड के आधार पर विभाजन की हकदार है ? ——— वादीया
3. आया, वादीया 1/10 हिस्सा में प्रतिवादीगण को चिर–स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की हकदार है ? ——— वादीया
4. आया, प्रतिवादी नं0 1 के द्वारा दिंनाक 04/11/2011 द्वारा वादीया के 1/10 भूमि की प्रतिवादी नं0 4,6,8 के पक्ष में किया गया दान–पत्र वादीया के हिस्सा तक निष्प्रभावी है ? ——— वादीया
5. आया, वादीया का 1/10 हिस्सा व हक है ? ——— प्रतिवादी नं0 1

उपरोक्त अनुसार तनकी नं0 1 आया, वादाधीन 3.440 है0 भूमि पैत्रिक है? इस तनकी को साबित करने का भार वादीया पर था। वादीया के द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र के साथ ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है जिससे की यह प्रमाणित होता हो कि वादाधीन रकबा वाद–पत्र प्रस्तुत करने की दिंनाक को पैत्रिक रकबा हो। वादीया के द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र की पुष्टि में दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव एंव वाद–पत्र में अंकित अपने कथनों को प्रमाणित करने के अभाव में उक्त तनकी का निर्णय विरूद्व वादीया किया जाता है।

तनकी नं0 2 आया, वादाधीन भूमि पैत्रिक होने से वादीया 1/10 हिस्सा घोषित करवाने तथा मिट एण्ड बाउण्ड के आधार पर विभाजन की हकदार है ? इस तनकी को साबित करने का भार वादीया पर था। चूंकि प्रथम तनकी भी वादीया किसी भी रूप से साबित करने में असफल रही है। फलस्वरूप यह तनकी भी जो कि प्रथम तनकी की आगामी कड़ी है इसे भी वादीया किसी भी साक्ष्य के द्वारा साबित करने में असफल रही है। परिणामस्वरूप इस तनकी का निर्णय भी विरूद्व वादीया किया जाता है।

तनकी नं0 3 आया, वादीया 1/10 हिस्सा में प्रतिवादीगण को चिर–स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की हकदार है ? इस तनकी को भी साबित करने का भार वादीया पर ही था। चूंकि सर्वप्रथम तो वादीया अपने वाद–पत्र के माध्यम से एंव किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित करने में असफल रही है कि वादाधीन रकबा पैत्रिक रकबा की श्रेणी में है। जब वादाधीन रकबा की बाबत वादीया किसी भी रूप से अपने हक व हिस्सा को प्रमाणित नहीं कर सकी है तो कानूनः वह एक खातेदार कृषक के विरूद्व किसी भी प्रकार का स्थाई–निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने की हकदार नहीं हो सकती है। इस प्रकार इस तनकी का निर्णय भी विरूद्व वादीया किया जाता है।

तनकी नं0 4 आया, प्रतिवादी नं0 1 के द्वारा दिंनाक 04/11/2011 द्वारा वादीया के 1/10 भूमि की प्रतिवादी नं0 4,6,8 के पक्ष में किया गया दान–पत्र वादीया के हिस्सा तक निष्प्रभावी है ? इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीया पर था। वादाधीन रकबा में अपने हक व हिस्सा होने की बाबत वादीया ने किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेजी प्रमाण पत्रावली पर पेश करने में पूर्णतयः असफल रही है। इस लिहाज से प्रतिवादी नं0 1 के द्वारा दिंनाक 04/11/2011 को प्रतिवादी नं0 4,6,8 के पक्ष में किया गया दान–पत्र पूर्णतयः सही निष्पादित हुआ दस्तावेज है। वादीया यदि उक्त दस्तावेज दान–पत्र से अपने आप को प्रभावित समझती तो उसे सक्षम न्यायालय में इस दस्तावेज को चुनौती देनी चाहिए थी। किन्तु ऐसा कोई प्रमाण वादीया प्रस्तुत नहीं कर पाई है।तथा वादीया के द्वारा प्रस्तुत इसी न्यायालय का निर्णय दिंनाक 7/6/2010 इस प्रकरण से भिन्न तथ्यों का होने के कारण लागु नहीं होता है। फलरूवरूप इस तनकी का निर्णय भी विरूद्व वादीया स्वीकार किया जाता है।

तनकी नं0 5 आया, वादीया का 1/10 हिस्सा व हक है ? इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी नं0 1 पर था। उपरोक्त तनकीयों की विवेचना एंव निष्कर्ष से यह भलीभांति स्पष्ट हो चुका है कि वादीया का वादाधीन रकबा में किसी भी प्रकार का कोई भी हक व हिस्सा नहीं बनता है। प्रतिवादी नं0 1 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी

साक्ष्यों से यह पूर्णतयः सही प्रतित होता है कि वादाधीन रकबा का वही एक मात्र खातेदार कृषक था। जिसको अपनी भूमि हस्तान्तरण करने का पूर्ण हक था।

उपरोक्त तनकीयातों का विवेचन कर आदेश दिया जाता है कि वाद वादीया खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिंनाक 14/01/2020 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली तरतिब तकमिल दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़।

## डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

**[आदेश–21 रूल–6,7 जाब्ता दीवानी]**

**न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

पीठासीन अधिकारी :– मनोज मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 178/2011

अनवान मुकदमा–

प्रकाशकौर उर्फ मनजीतकौर पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी हरदीपसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 2 एल.एस.एम. बान्डा कोलोनी ढाणी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–––वादी

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र महंगासिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 1 के.एस.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. परमजीत कौर पुत्री महेन्द्रसिंह [स्वर्गवास]
   2/1. अमरीकसिंह ––।
   2/2. हरजीतसिंह ।पुत्रगण परमजीतकौर पत्नी केहरसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी श्योपुरा
   2/3. रणजीतसिंह –– ।तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. राणी पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी प्रकाशसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी वार्ड नं0 25 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. सरदुलसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 1 के.एस.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. बलवीरकोर पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी लखविन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. सतपालसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 1 के.एस.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
7. काली पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी जरनैलसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. अंग्रेजसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 1 के.एस.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
9. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
10. उप–पंजीयक सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
11. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा सूरतगढ़।
12. चरणकौर पत्नी महेन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 1 के.एस.आर. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–––प्रतिवादीगण

**वाद–पत्र अन्तर्गत धारा– 88,53,188,207,209 आर0टी0ए0 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते इंफिसाल कितई रूबरू सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ व हाजिरी श्री अशोक कुमार छाबड़ा वकील वादी एंव श्री भगवानदत शर्मा वकील प्रतिवादी नं0 1,3,6 व श्री श्याम चुघ वकील प्रतिवादी नं0 11 एंव श्री बाबूलाल चाण्डक वकील प्रतिवादी नं0 1,4,6,8 उपस्थित। वाद वादीया खारीज किया जाता है। इस अहकाम की डिक्री जारी की जाती है।

यह डिक्री न्यायालय की मोहर एंव मेरे हस्ताक्षर से आज दिंनाक 14/01/2020 को जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

सहायक कलैक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी,सूरतगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.16 16:43:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: